a meeting was convened by Home Minister on 5.6.1995 in which Minister of Urban Affairs & Employment, Lt. Governor. Delhi, Chief Secretary GNCTD, Special Secretary, Ministry of Home Affairs and Senior Officers of this Ministry participated. In the meeting issues relating to the composition of the Delhi Development Authority and the Structure and mandate of DDA were discussed.

महात्मा गांधी की 125वीं जयंती

1237. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के अवसर पर गांधी दर्शन एवं गांधी अध्ययन हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) देश में किन-किन विश्वविद्यालयों में गांधी विचार केन्द्र अथवा गांधी अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है एवं क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके लिए कोई विशेष अनुदान दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के संबंध में, वर्तमान व्यवस्था के गांधीवादी विकल्पों पर अभिनव अध्ययन करने हेतु गांधीवाद पर कुछेक शिक्षावृत्तियां प्रारंभ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो गांधी-पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है और वर्तमान विभागों/गांधी अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ़ करने और उनकी पुनर्संरचना करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यक्रम में कुछ प्रमुख गांधीवादी विचारों को शामिल करने के संबंध में अध्ययन पूरा किया है। शिक्षा विभाग ने एक स्कीम को अंतिम रूप दिया है जिसके अंतर्गत लगभग 500 गांधीवादी अध्येता अगले 2-3 माह के दौरान विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का दौरा करेंगे जहां वे महात्मा गांधी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्याख्यान देंगे और वार्ताएं, सेमिनार, इत्यादि आयोजित करेंगे।

(ग) देश के जिन विश्वविद्यालयों में गांधी केन्द्र खोले गए हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

1. टी.एस. भागलपुर विश्वविद्यालय
2. नागपुर विश्वविद्यालय
3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
4. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
5. मदुरई कामराज विश्वविद्यालय
6. पंजाब विश्वविद्यालय
7. राजस्थान विश्वविद्यालय
8. कर्नाटक विश्वविद्यालय
9. अन्ना विश्वविद्यालय
10. मद्रास विश्वविद्यालय
11. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
12. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
13. डा. अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
14. काशी विश्वविद्यालय
15. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
16. बंगलौर विश्वविद्यालय
17. गुजरात विद्यापीठ

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में गांधी भवन हैं:—

1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2. कर्नाटक विश्वविद्यालय 3. मैसूर विश्वविद्यालय 4. पंजाब विश्वविद्यालय 5. राजस्थान विश्वविद्यालय 6. गुजरात विद्यापीठ 7. बंगलौर विश्वविद्यालय 8. दिल्ली विश्वविद्यालय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Subsidy on Fertilizers

1238. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 6,000 crores subsidy on fertilizers has been announced by the Commerce Minister;

(b) whether it is also a fact that the benefit of this subsidy will be granted to the fertilizers plants which are running in losses; and

(c) whether this subsidy will be granted on all the fertilizers or on any specific grade or brand of the fertilizers; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) At present, only urea is under price control and hence covered under the subsidy scheme. All urea manufacturing units are eligible for subsidy. Subsidy is also borne by the Government on import of urea. Besides, Department of Agriculture & Cooperation is implementing a scheme of special concession on decontrolled fertilizers. Under this scheme a special concession of Rs. 1000/ per tonne is paid on sale of Mariate of Potash (MOP) and indigenous Diammonium Phosphate (DAP). A proportionate concession in respect of other indigenous complex fertilizers is also available. Besides, there is a concession of Rs. 340/per tonne on indigenous Single Super Phosphate (SSP).

For the year 1995-96, a provision of Rs. 5400 crores has been made for subsidy on controlled fertilizers. In addition, Department of Agriculture & Cooperation has made a provision of Rs. 500 crores for the scheme of special concession on decontrolled fertilizers.

Funding of NGO's engaged in child welfare by external agencies

1239. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any external agencies have been funding the NGO's for removal of child prostitution and child labour in the country;

(b) if so, details of the funds made available during the last three years; and

(c) the progress made in implementing the programme, and the extent of population covered, programme-wise?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) No external agency has funded NGOs for removal of child prostitution. The Government of India has been participating in the International Programme for Elimination of Child Labour (IPEC) sponsored by International Labour Organisation. Under the Programme assistance is provided mostly to non-governmental organisations for undertaking programmes relating to child labour. For the two biennia 1992-93 and 1994-95 the allocation for India under IPEC was US $ 3.65 million (over Rs. 10 crores). Altogether 89 projects covering about 55,000 children with an outlay of Rs. 8.5 crores have been approved and are at different stages of implementation.

मध्य प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा

1240. श्री राघवजी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जिलावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या योजनाएं बनाई हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट तथा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार अनुबंध-I में उल्लिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिन्हें बागवानी के विकास के लिए बनाया गया है। बागवानी विकास की इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 1994-95 में 458.69 लाख रुपए दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार उपर्युक्त सहायता में से विभिन्न जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। धनराशि का जिलेवार आबंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने उसे दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। 1991-92 से 1994-95 तक दी गई कुल 1145.30 लाख रुपए की राशि में से राज्य सरकार ने विभिन्न बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 776.32 लाख रुपयों का उपयोग किया है।

Illegal fishing in the Territorial Waters

1241. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHIKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state: